having a total approved cost of Rs. 73.71 crores have been sanctioned under the Scheme so far. A sum of Rs. 40.52 crores has been released against the sanctions issued.

The projects/works sanctioned under the CIB Scheme have helped production and export of goods/services by creating infrastructural facilities and removing the bottlenecks.

गुजरात में अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश

*319. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात में अनिवासी भारतीयो द्वारा कुल कितना अनुमानित निवेश किया गया;

(ख) राज्य में निवेश करने के लिए उन्हे क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या अतीत में अनिवासी भारतीयों को दिए गए प्रोत्साहनों/रियायतों के परिणाम अच्छे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1997 और वर्ष 1998 (अक्तूबर, 1998 तक) की अवधि के दौरान गुजरात में 77.55 करोड़ रूपये की राशि के अनिवासी भारतीय निवेश वाले प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं।

(ख) विदेशी कंपनियों को उपलब्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सामान्य नीति तथा सुविधाएं, अनिवासी भारतीयों के मामले में भी पूर्ण रूपेण लागू हैं। इसके अलावा, सरकार ने विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों और अधिकतर अनिवासी भारतीयों की वर्चस्व वाली विदेशी कारपोरेट निकायों (ओ.बी.सी) के लिए कुछ रियायतें दी हैं। इनमें ये रियायते शामिल हैं—(1) स्थावर सम्पदा तथा भवन निर्माण क्षेत्र में 100% तक अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.)/विदेशी कारपोरेट निकायों(ओ.सी.बी.) निवेश की अनुमति हैं, (2) घरेलू विमान सेवा क्षेत्र में 100% तक एन.आर. आई./ओ.सी.बी. की निवेश की अनुमति हैं, (3) बैकिंग क्षेत्र में एन.आर.आई./ओ.बी.सी. को 40% तक निवेश करने की अनुमति हैं, (4) एन.आर.आई. प्रथमतः लघु उद्योगों में 24% से अधिक निवेश कर सकते हैं बशर्ते कि उनका किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम में कोई दावा न हो; और (5) एन.आर.आई./ ओ.सी.बी. औद्योगिक नीति और कार्यपद्वति पुस्तिका के अनुबंध-3 में शामिल उच्च प्राथमिका वाले उद्योगों में निहित उद्योगों/मदों में 100% तक निवेश कर सकते है। उपर्युक्त के अलावा, गुजरात सराकर ने अनिवासी भारतीयों को सरकारी अभिकरणों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने/स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के संबंध में प्राथमिकता दी हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1991 से अक्तूबर, 1998 की अवधि के दौरान भारत में 7448.34 करोड़ रूपये की राशि के अनिवासी भारतीय निवेश की परिकल्पना वाले प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। उक्त अवधि में 7384.47 करोड़ रूपये की राशि का वास्तव में अनिवासी भारतीय निवेश संबंधी अंतःप्रवाह हुआ हैं।

PSEs identified for joint venture

*320. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether 23 PSEs have been identified by Department of Heavy Industry for joint venture;

(b) if so, the shares proposed to be disinvested in each case; and

(c) the present status of disinvestment process?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) Government have given "in principle" approval for conversion of 23 units under the Department of Heavy Industry into Joint Ventures as part of long term strategy to make them strong and viable. The names of these 23 units are:—

1. Andrew Yule & Company Ltd. (AY&Co.)
2. Bharat Heavy Plates & Vessels Ltd. (BHPV)
3. Bharat Leather Corporation Ltd. (BLC)
4. Bharat Pumps & Compressors Ltd. (BPCL)
5. Bridge & Roof Company (India) Ltd. (B&R)
6. Cement Corporation of India Ltd. (CCI)
7. Engineering Projects (India) Ltd. (EPI)
8. Hindustan Cables Ltd. (HCL)